

# भोपाल में हुई जनसुनवाई में रिकॉर्ड 348 शिकायतें मिलीं

**पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।**

भोपाल के बैरिसिया में मंगलवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई हुई। इसमें रिकॉर्ड 348 शिकायतें मिलीं। बैरिसिया विधायक विष्णु खत्री, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा समेत अन्य जिला अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर मिश्रा बैरिसिया क्षेत्र के गेहूँ खरीदी केंद्रों पर

भी पहुंचे। आम तौर पर कलेक्टरेट में हर मंगलवार को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक जिला स्तरीय जनसुनवाई होती है। पहली बार कलेक्टर मिश्रा ने बैरिसिया में जनसुनवाई का आयोजन किया। सुबह 10 बजे से ही जिला अधिकारी बैरिसिया पहुंच गए थे। कलेक्टर मिश्रा ने बताया, तहसील स्तर पर जिला

स्तरीय जनसुनवाई का यह प्रथम आयोजन है। भविष्य में भी जनसमस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण के लिए अनवरत रूप से इसी प्रकार के आयोजन होंगे। विधायक खत्री ने कहा कि यह पहल जनसामान्य की समस्याओं के निराकरण के लिए सार्थक एवं स्वागत योग्य है।

## न्यायालय तहसीलदार, वृत्त-3, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

**प्रकरण क्रमांक-8473/अ-6/25-26**  
**मौज-मंडोरी तहसील हुजूर, भोपाल**

### उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती नीरा कोटवानी पी श्री कमल कोटवानी निवासी 1925 पन्ना नगर इन्डगान हिल्स भोपाल, मग, ने द्वारा म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड थिकर्य पत्र दस्तावेज क्रमांक एनपी 059702016ए 1169402 दिनांक 22/03/2016 के आधार पर भूमि खसरा क्रमांक 210/1 कुल रकबा में से 109/10 वर्गफिट भूमि गाम मंडोरी प.ह.न. 52 तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में विगत पेशी दिनांक 08.05.2026 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 27.04.2026 को जारी किया गया।

**तहसीलदार**

**तहसील-हुजूर भोपाल**

## न्यायालय तहसीलदार, वृत्त-3, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

**प्रकरण क्रमांक-7888/अ-6/25-26**  
**मौज-नीलखंड तहसील हुजूर, भोपाल**

### उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती रेखा सिंह बघेल पत्नी श्री समजोती सिंह बघेल निवासी पन आई जी डुबरेवास 224 ऐकनगा स्टेटिडम के पास बरखेडी फाटक भोपाल, मग, ने द्वारा म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड थिकर्य पत्र दस्तावेज क्रमांक 15/8/5 दिनांक 16/02/2012 के आधार पर भूमि खसरा क्रमांक 121/3 कुल रकबा में से 3000 वर्गफिट भूमि गाम नीलखंड प.ह.न. 51 तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में विगत पेशी दिनांक 08.05.2026 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 30.04.2026 को जारी किया गया।

**तहसीलदार**

**तहसील-हुजूर भोपाल**

## न्यायालय तहसीलदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

**प्रकरण क्रमांक-8880/अ-6/25-26**  
**मौज-खारखेडी तहसील हुजूर, भोपाल**

### उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक 01 श्रीमती बबी झाई पत्नी श्री रमेश चन्द्र एत 02 श्री प्रदीप पारीडिया पुत्र श्री रमेश पारीडिया एत 03 श्री द्वितीय रजक पुत्र श्री रमेश समस्त निवासीका 38 थिकरट लैंडिंग तालाब राम मीर भोपाल, मग, ने द्वारा म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड थिकर्य पुत्र दस्तावेज क्रमांक एनपी 059692019 ए1188417 दिनांक 18/03/2019 के आधार पर भूमि खसरा क्रमांक 232/1 कुल रकबा में से 1250 वर्गफिट भूमि गाम मंडोरी प.ह.न. 52 तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में विगत पेशी दिनांक 08.05.2026 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 27.04.2026 को जारी किया गया।

**तहसीलदार**

**तहसील-हुजूर भोपाल**

## न्यायालय तहसीलदार, वृत्त-3, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

**प्रकरण क्रमांक-7579/अ-6/25-26**  
**मौज-बरखेडी सामन तहसील हुजूर, भोपाल**

### उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री राजेश ओझा पुत्र श्री आर पी ओझा निवासी मकान न. 31 सेक्टर-9, 16 ए 33/26बाबद हिरयाणा हाल निवासी ई 5/13/सी अरेर कोलनी भोपाल मग, ने द्वारा म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड थिकर्य पत्र दस्तावेज क्रमांक 1064 दिनांक 14/03/2011 के आधार पर भूमि खसरा क्रमांक 458/1 कुल रकबा में से 2400 वर्गफिट भूमि गाम बरखेडी सालम प.ह.न. तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में विगत पेशी दिनांक 08.05.2026 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 30.04.2026 को जारी किया गया।

**तहसीलदार**

**तहसील-हुजूर भोपाल**

## नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम इस्माइल खान पिता अलीबखर है निवासी गाम उदोरा, उदोरा, धोना, जिला निवाडी मग, मेरे सॉलर रिकार्ड में इस्माइल अलीबखर पिता अलीबखर नाम दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड में मेरा पूरा नाम इस्माइल खान पिता अलीबखर कर लिया है, मेरा उपनाम खां है। इस्माइल अलीबखर, इस्माइल खान दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। अतः प्रकाशन उपरान्त अपने सभी शासकीय /अशासकीय/ व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा सही नाम इस्माइल खान पिता अलीबखर नाम से जानम-पहचान व लिखा पढ़ा, दर्ज किया जावे।

**पुराना नाम-इस्माइल अलीबखर पिता अलीबखर**

**नया नाम-इस्माइल खान पिता अलीबखर**

## आम सूचना/नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं चंद्र यादव पति मोहित यादव आगु गाम वेमवर, तहसील खातेगांव जिला देवास म.प्र. 455336 आगर लखनग 20 वर्ष निवासी नम्बर 2385 2998 0588 का निवासी हूँ। मेरा वास्तविक नाम चंद्र यादव (CHANDU YADAV) पति मोहित यादव है, आधार कार्ड में नूटित्व मेरा नाम चंद मंडलोई अंकित हो गया है, अब मैं अपने नाम चंद्र यादव (CHANDU YADAV) पति मोहित यादव अंकित कराना चाहता हूँ एवं सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा।

**पुराना नाम-चंदा मंडलोई (CHANDA MANDLOI)**

**नया नाम-चंद्र यादव (CHANDU YADAV)**

**आवेदक-चंद्र यादव**

## आम सूचना/नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं गुरमितसिंह भाटीया पिता राजेशसिंह भाटीया आगु लखनग 42 वर्ष निवासी गाम कांकरकोड, तुह, सतवास जिला देवास म.प्र. का निवासी हूँ। तुह, सतवास जिला देवास म.प्र. का निवासी हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम मितांशु सिंग भाटीया (MITANSHU SINGH BHATIYA) आराम गुरमितसिंह भाटीया है। आधार कार्ड नं. 3588 9366 5759 में नूटित्व मेरे पुत्र का नाम गुरमितसिंह भाटीया अंकित हो गया है, अब मैं अपने पुत्र का नया नाम मितांशु सिंग भाटीया (MITANSHU SINGH BHATIYA) आराम गुरमितसिंह भाटीया अंकित कराना चाहता हूँ एवं सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उमका यही नाम रहेगा।

**पुराना नाम-अंश (ANSH)**

**नया नाम-मितांशु सिंह भाटीया (MITANSHU SINGH BHATIYA)**

**आवेदक गुरमितसिंह भाटीया पिता राजेन्द्रसिंह भाटीया**

## नाम परिवर्तन की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नेहा राजावत (NEHA RAJAWAT) पति अरविन्द परमार निवासी गाम पोस्ट चंदोदेवर, तहसील गोदव, चंदोदेवर, चंदोदेवर, जिला-भिंड मग मेरे आधार कार्ड, मे नूटित्व मेरा नाम रानी देवी (RANI DEVI) अंकित हो गया है , जो की गलत है। मेरा नाम नेहा राजावत (NEHA RAJAWAT) है, जो की मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, जो सही है। अतः प्रकाशन उपरान्त अपने सभी शासकीय/अशासकीय/ व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा नाम नेहा राजावत (NEHA RAJAWAT) से जान व पहचान व पढ़ा जावे। जो विहित होवे।

**पुराना नाम-रानी देवी (RANI DEVI)**

**नया नाम-नेहा राजावत (NEHA RAJAWAT)**

## आम सूचना/नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं मोहम्मद सरदर पिता बख्त भाई निवासी 246 रिजा कोलनी, करोंद मार्ग तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र. हूँ। मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में नूटित्व अयशा खान D/O मोहम्मद अयाज दर्ज हो गया है, जो की गलत है। मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम अनम (ANAM) पिता मोहम्मद सरदर (MOHAMMAD SARWAR) है। जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित है जिसे मैं अपनी पुत्री के आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ। अनम (ANAM) पिता मोहम्मद सरदर (MOHAMMAD SARWAR) व आर्या खान 8/ह मोहम्मद अयाज दोनों एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरी पुत्री ही है। प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को अनम (ANAM) पिता मोहम्मद सरदर (MOHAMMAD SARWAR) के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावे।

**पुराना नाम-अक्षय (AKSHAY)**

**नया नाम-दीपाक्ष (DIPANS)**

**आवेदक-मन्नुबाई**

## आम सूचना/नाम परिवर्तन सूचना

मैं संगीता यादव पति धर्मेंद्र यादव आगु लखनग 42 वर्ष निवासी गाम खातेगांव, तह, खातेगांव जिला देवास म.प्र. 455336 की निवासी हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम संगीता यादव (SANGEETA YADAV) पति धर्मेंद्र यादव है, आधार कार्ड नं. 4518 0101 3965 में नूटित्व मेरा नाम संगीत यादव पति धर्मेंद्र यादव अंकित हो गया है, अब मैं अपना नया नाम संगीता यादव (SANGEETA YADAV) पति धर्मेंद्र यादव अंकित कराना चाहती हूँ एवं सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा।

**पुराना नाम-सुहानी योगी (SANJU YADAV)**

**नया नाम-शिवानी (SANGEETA YADAV)**

**आवेदक-संगीता यादव**

## नाम परिवर्तन सूचना

मैं सुखनी चौहान पुत्री श्री धनेश्वर चौहान, आगु 31 वर्ष, निवासी 145, नारियलखेडा हुजूर भोपाल का नाम समस्त शासकीय अशासकीय दस्तावेजों में तथा अंकनूचीयों में मेरा नाम सुखनी चौहान पुत्री श्री धनेश्वर चौहान दर्ज है, मेरी दसवीं कक्षा की अंकनूची में भूलखरा नाम मधु चौहान दर्ज हो गया है। प्रकाशन उपरान्त कक्षा दसवीं की अंकनूची में मेरा नाम मधु चौहान से परिवर्तित कर सुखनी चौहान दर्ज किया जावे।

**पुराना नाम-मधु चौहान पुत्री श्री धानेश्वर चौहान (Madhu Chouhan d/O Thaneswer Chouhan)**

**नया नाम-सुखनी चौहान पुत्री श्री धानेश्वर चौहान (Suhani Chouhan d/O Thaneswer Chouhan)**

## नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं मोहम्मद सरदर पिता बख्त भाई निवासी 246 रिजा कोलनी, करोंद मार्ग तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र. हूँ। मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में नूटित्व अयशा खान D/O मोहम्मद अयाज दर्ज हो गया है, जो की गलत है। मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम अनम (ANAM) पिता मोहम्मद सरदर (MOHAMMAD SARWAR) है। जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित है जिसे मैं अपनी पुत्री के आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ। अनम (ANAM) पिता मोहम्मद सरदर (MOHAMMAD SARWAR) व आर्या खान 8/ह मोहम्मद अयाज दोनों एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरी पुत्री ही है। प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को अनम (ANAM) पिता मोहम्मद सरदर (MOHAMMAD SARWAR) के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावे।

**पुराना नाम-आयशा खान D/O मोहम्मद अयाज**

**नया नाम-अनम (ANAM) पिता मोहम्मद सरदर (MOHAMMAD SARWAR)**

**आवेदक-मन्नुबाई**

## आम सूचना/नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम श्वेता रैकवार आ. सी.बी. राजकुमार आगु वरसक निवासी- सी.टी.टी. नगर, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) हूँ। परन्तु मेरे आधार कार्ड में नूटित्व मेरा नाम (FAIZA FARZEEN C/O MOHAMMED FAIZAL) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरा वास्तविक सही मेरे जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज होने से प्रमाणित है। प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम काशिका पाटीदार पिता जीवन पाटीदार (KANISHKA PATIDAR D/O JIVAN PATIDAR) के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावे।

**पुराना नाम-तनिष्का पाटीदार पिता जीवन पाटीदार (TANISHKA PATIDAR D/O JIVAN PATIDAR)**

**नया नाम-सुभाष पाटीदार (SUBHASH PATIDAR)**

**नया नाम-सुभाष पाटीदार (SUBHASH PATIDAR)**

## न्यायालय तहसीलदार वृत्त-2 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

**प्रकरण क्रमांक-10688/अ-6/25-26**  
**मौज-कानखेडा, तहसील हुजूर, भोपाल**

### उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री कृष्णा सुवंशी पुत्री श्री भूमिपूया निवासी ए-1/44, सोभा नगर, सुभाष कोलनी, सेमरा, वाई नंबर 65, तहसील हुजूर जिला भोपाल मग, ने द्वारा म.प्र.भू.रा. संहिता की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड थिकर्य पत्र दस्तावेज क्रमांक एआर पर कर की गई भूमि रिगत गाम कानखेडा, प.ह.न. 37 तहसील हुजूर तहसील भूमि का खसरा क्रमांक 873, 875/1/1, 875/3/1, 876/3, 877/2 कुल रकबा में से 1200 वर्गफिट भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किए जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ रजिस्टर्ड थिकर्य पत्र की छायाप्रति एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।

2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में विगत पेशी दिनांक 22.05.2026 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 04/05/26 को जारी किया गया।

**नायब तहसीलदार**

**तहसील-हुजूर भोपाल**

## न्यायालय तहसीलदार, वृत्त-3, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

**प्रकरण क्रमांक- 5118/अ-6/25-26**  
**मौज-मुगलिया छाप तहसील हुजूर, भोपाल**

### उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक गजराज सिंह आरमज अंतर सिंह एवं महेन्द्र आरमज अंतर सिंह निवासी गाम मुगलिया छाप तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र.भू. राजस्व. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर गाम मुगलिया छाप प.ह.न. 68 रिगत भूमि खसरा क्रमांक 755/1/2, रकबा 0.6550 है. खसरा क्रमांक 759/1, 0.4170 है. 762/1 रकबा 0.1020 किता 3 कुल रकबा 1.174 है. भूमि जो राजस्व अभिलेखों में आवेदक के पिता जी स्व. श्री अंतर सिंह आरमज श्री हरी सिंह के नाम पर दर्ज है जिस आधार पर वहीयानामा किये जाने का अनुरोध किया है।

2- उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 08.05.2026 निवत है।

अक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 27.04.2026 को जारी किया गया।

**तहसीलदार**

**तहसील-हुजूर भोपाल**

## न्यायालय तहसीलदार, तहसील-कोलार, जिला भोपाल

**प्रकरण क्रमांक 5863/अ-6/25-26**

### उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक धमंड चौहान आ. रघुवीर चौहान निवासी मं. 105, स्नेहा नगर निगर श्रीराम कालोनी म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109,110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर फौती / वसीयत / रजिस्टर्ड थिकर्य/दान पत्र क्र. ... दिनांक गाम भैरोपुर प.ह.न. रिगत भूमि खसरा नं. -53.54, 55/1, 56, 58, 191, 192, 194, 195 का अंश क्षेत्र. 0.1800 वर्गफिट प्लाट क्र. 70 भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया है।

2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 11/04/26 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 04/05/26 को जारी किया गया।

**तहसीलदार**

**तहसील-कोलार भोपाल**

## आम सूचना/नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम लक्की चौरशिया (LUCKY CHAURASHIYA) पिता अश्लोक शिखर निवासी वाई न 26 शाजापुर जिला शाजापुर मध्य प्रदेश है, जो कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र एवं अंकनूची में दर्ज है, जो कि सही एवं सत्य है, परन्तु आधार कार्ड में नूटित्व मेरे नाम लक्की चौरशिया (LUCKY CHOURASHIYA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम लक्की चौरशिया (LUCKY CHAURASHIYA) दर्ज किया जावे एवं इसी नाम से पढा-लिखा, जाना पहचाना, पुकारा जावे एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों पर भी दर्ज किया जावे।

**पुराना नाम-हरि सिंह मरकोले (HARI SINGH MASKOLE)**

**नया नाम हरीचरण (HARICHARAN)**

**आवेदक-हरीचरण**

## नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरा नाम लक्की चौरशिया (LUCKY CHAURASHIYA) पिता अश्लोक शिखर निवासी वाई न 26 शाजापुर जिला शाजापुर मध्य प्रदेश है, जो कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र एवं अंकनूची में दर्ज है, जो कि सही एवं सत्य है, परन्तु आधार कार्ड में नूटित्व मेरे नाम लक्की चौरशिया (LUCKY CHOURASHIYA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम लक्की चौरशिया (LUCKY CHAURASHIYA) दर्ज किया जावे एवं इसी नाम से पढा-लिखा, जाना पहचाना, पुकारा जावे एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों पर भी दर्ज किया जावे।

**पुराना नाम-लक्की चौरशिया (LUCKY CHOURASHIYA)**

**नया नाम-लक्की चौरशिया (LUCKY CHAURASHIYA)**

## नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरे पुत्र का नाम यश चौहान (YASH CHOUHAN) पिता बख्शर सिंह चौहान माता शारदा तिलोत्तमा निवासी श्रीनगर कोलनी देवास मध्य प्रदेश है, जो कि मेरे पुत्र की अंकनूची में दर्ज है, जो कि सही एवं सत्य है, परन्तु आधार कार्ड में नूटित्व मेरे पुत्र का नाम येश (YES) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजों पर उसका सही नाम यश चौहान (YASH CHOUHAN) दर्ज किया जावे एवं इसी नाम